राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/2/2012

दिनांक : 28.02.2012

–: आदेश :–

राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम–1963 के संशोधित नियम 2011 के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, राजस्थान जयपुर के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यार्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 15600–39100 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए–11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 16800/– प्रतिमाह एवं 13200/– चिकित्सा परिचर्या भत्ता **(कुल रूपए 30,000/–)** की दर पर अस्थाई रूप से, **दो वर्ष के प्रोबेशन काल जिसमें एक वर्ष की इन्टरनशिप अवधि सम्मिलित होगी,** पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:–

क्र. सं.	नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	महिला/ पुरूष	पदस्थापित स्थान
1.	DEEPESH PARASHAR	19-10-1984	GEN	Male	PHC JATBEHROD ALWAR
2.	SHER SINGH	07-09-1978	OBC	Male	PHC ABDULPUR DHOLPUR
3.	PRADEEP KUMAR SHARMA	30-10-1982	GEN	Male	PHC LOHARIA BANSWARA
4.	MANISH KUMAR LOYAL	13-02-1986	OBC	Male	PHC KHANDIN BARMER
5.	TULSI RAM MEENA	09-01-1976	ST	Male	PHC DHIPARI CHAMBAL KOTA
6.	JITENDRA KUMAR BAGRIA	05-06-1984	OBC	Male	PHC PALADI SIROHI

" These appointments are subject to the decisions of S.B. Civil Writ Petition Nos 15211/2011"

इन्हें कार्यग्रहण करने के समय से एक माह में अपने गृह जिले के सबंधित पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

चिकित्सक को नियुक्ति तिथि से कम से कम 03 वर्ष की नियमित/निरन्तर सेवा करनी अनिवार्य है अन्यथा किन्हीं अपरिहार्य कारणवश सेवा काल पूर्ण नहीं करने पर जितना वेतन भुगतान किया गया है उसे राजकोष में जमा करवाने होंगे जिसके लिये चिकित्सक को कार्यग्रहण की एक माह के अन्दर–अन्दर संबंधित नियंत्रण अधिकारी को रूपए 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर बंधक पत्र भरना अनिवार्य है। ऐसा ने करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही संपादित की जायेगी।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन है।

दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यार्थी नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से **अधिकतम 15 दिवस अर्थात दिनांक 13.03.2012 तक** उनके नाम के सम्मुख जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में कार्यग्रहण करना होगा।

जो चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपने आप को कार्यमुक्त समझते हुए उक्त आदेशानुसार कार्यग्रहण करेंगे।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नही है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—ह.—
(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3) निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
4) उप सचिव एवं निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
5) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6) संबंधित संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान
7) निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
8) रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9) प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज संबंधित को भेजकर लेख है कि पीजी अध्ययनरत **अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण के समय संबंधित गृह जिले के पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से प्राप्त करें एवं संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट, प्राप्त कर मूल ही अभ्यार्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।**
10) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
11) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
12) संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भेजकर लेख है कि **अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण करने के समय से एक माह के अन्दर संबंधित गृह जिले के पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन/संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से प्राप्त कर मूल ही अभ्यार्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।**
13) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर **रजिस्टर्ड डाक** द्वारा एवं विभाग की बेवसाईट **http://www.rajswasthya.nic.in** के माध्यम से सूचनार्थ।
14) आदेश पत्रावली/ निजि पत्रावली।

शासन उप सचिव